भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6147

1 अप्रैल, 2026 के लिए प्रश्न

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

6147. मोहम्मद अबू ताहेर खानः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में, विशेष रूप से कमजोर और कम आय वाले परिवारों के बीच खाद्य और पोषण सुरक्षा का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आवश्यक खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता, वहनीयता और पहुंच तथा पोषण सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रमाणीकरण मुद्दों, राशन कार्ड की अनियमितताओं या डिजिटलीकरण की चुनौतियों के कारण रियायती खाद्य वितरण वाले पात्र लाभार्थियों के सूची से बाहर किए जाने के मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो ऐसे मामलों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले निर्धनतम परिवारों को प्रति परिवार, प्रति माह, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएचएच) को प्रति व्यक्ति, प्रति माह, 5 किलोग्राम खाद्यान्न, निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। अधिनियम के अंतर्गत कवरेज काफी अधिक है ताकि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके। दिनांक 01.03.2026 तक, 81.35 करोड़ की लक्षित कवरेज की तुलना में 79.40 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त हो रहा है।

...2/-

केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

केंद्र सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमजीकेएवाई योजना के अंतर्गत पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों, जिनमें समाज के कमजोर वर्ग भी शामिल हैं, की पहचान करने के लिए समय-समय पर परामर्शिका जारी करती है। राज्य अपने लाभार्थी डेटाबेस को अद्यतन कर रहे हैं ताकि फर्जी राशन कार्ड हटाए जा सकें और पात्र लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। इस प्रकार, अपात्र लाभार्थियों को हटाना और पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।

इस विभाग के दिनांक 24/10/2017 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया गया है कि नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग संबंधी समस्याओं, अन्य तकनीकी कारणों या लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण में विफलता के कारण किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की पात्रता के कोटे को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा।
